क्रम-संख्या--137

रजि० सं० एल. डब्ल्यू./एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०--41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 2 अप्रैल, 1994

चैत्र 12, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 604/सत्रह-वि-1--1 (क) 7-1994

लखनऊ, 2 अप्रैल, 1994

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1994 पर दिनांक 31 मार्च, 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1994

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1994)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा । **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

(2) धारा 2 और 4 दिनांक 1 जुलाई, 1993 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, धारा 3 दिनांक 18 फरवरी, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में,--

(क) उपधारा (4) में, खण्ड (ख) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1994 की धारा 2 के प्रारम्भ के पूर्व इस खण्ड के अधीन नियुक्त किसी प्रशासक या कमेटी को सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा और उसके द्वारा कृत कार्यवाही या प्रयोग की गई शक्ति या सम्पादित कृत्य को न तो अविधिमान्य समझा जायेगा और न किसी न्यायालय में इस आधार पर, कि इस रूप में उसकी नियुक्ति में कोई त्रुटि थी या इस आधार पर कि प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन समय से नहीं हुआ था या उसके पद का कार्यकाल सम्यक् रूप से बढ़ाया नहीं गया था, आपत्ति की जायेगी।"

(ख) उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (4) के खण्ड (ख) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट कोई प्रशासक या कमेटी 31 दिसम्बर, 1994 तक प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन की व्यवस्था करेगी;"

धारा 34 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 34 में,--

(क) उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायगा;

(ख) उपधारा (1-क) और (1-ख) निकाल दी जायेंगी।

धारा 35 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 35 में,--

(क) उपधारा (3) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1983 की धारा 3 के खण्ड (क) के प्रारम्भ के पूर्व" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1994 की धारा 4 के प्रारम्भ के पूर्व" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "इस प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रारम्भ के पूर्व समाप्त हो गया है, प्रबन्ध कमेटी के पुनस्संगठन की व्यवस्था 30 जून, 1993 तक करेंगे" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व समाप्त हो गया है, प्रबन्ध कमेटी के पुनस्संगठन की व्यवस्था 31 दिसम्बर, 1994 तक करेंगे" रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

5--(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1994, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्र... अध्यादेश संख्या 6... सन् 19...

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

(3) मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्रशासक या प्रशासक कमेटी द्वारा या धारा 35 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन नियुक्त कमेटी, प्रशासक या प्रशासकगण द्वारा 1 जुलाई, 1993 को या उसके पश्चात् मूल अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य होगी मानो इस अधिनियम की धारा 2 और 4 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नार...
सचिव।

No. 604 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 7-1994

Dated Lucknow, April 2, 1994

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samit (Sanshodhan) Adhiniyam, 1993 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 31, 1994.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1994

(U. P. ACT NO. 7 OF 1994)

[*As passed by the U.P. Legislature*]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Fortyfifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1994.

(2) Sections 2 and 4 shall be deemed to have come into force on July 1, 1993, section 3 shall be deemed to have come into force on February 18, 1994 and the remaining provisions shall come into force at once.

Amendment of section 29 of U.P. Act no. 11 of 1966

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in sub-section (4) *for* the proviso to clause (*b*) the following proviso shall be *substituted*, namely :—

"Provided that an Administrator or a Committee appointed under this clause before the Commencement of section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies(Amendment) Act, 1994 shall be deemed to have been duly, appointed and no action taken or power exercised or functions performed by him shall be deemed to be invalid or shall be called in question in any court on the ground of any defect in his appointment as such or on the ground that the Committee of Management was not reconstituted within time or the term of his office was not duly extended.";

(*b*) in sub-section (6) *for* the first proviso, the following proviso shall be *substituted* namely :—

"Provided that an Administrator or a Committee referred to in the proviso to cluase (*b*) of sub-section (4) shall arrange for reconstitution of the Committee of Management by December 31, 1994."

Amendment of section 34

3. In section 34 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), the proviso shall be *omitted* ;

(*b*) sub-sections (1-A) and (1-B) shall be *omitted*.

Amendment of sectio : 35

4. In seetion 35 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (3), in the second proviso *for* the words and figures "prior to the commencement of clause (*a*) of section 3 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1983", the words and figures "before the commencement of section 4 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1994" shall be *substituted* ;

(*b*) in sub-section (6), in the first proviso *for* the words and figures "this proviso shall arrange for reconstitution of the Committee of Management by June 30, 1993" the words and figures "the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1994 shall arrange for reconstitution of the Committee of Management by December 31, 1994" shall be *substituted*.

U. P. Ordinance no. 6 of 1994

Repeal and savings

5. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1994 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by section 3 of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

(3) Anything done or any action taken under the principal Act or the rules or by laws made thereunder on or after July 1, 1993 by the Administrator or the Committee of Administrators appointed under sub-section (4) of section 29 or by the Committee, the Administrator or the Administrators appointed under sub-section (3) or sub-section (4) of section 35 of the principal Act shall be valid as if the provisions of the principal Act as amended by sections 2 and 4 of this Act, were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 3 सा०(विधा०)--(4)--1994--850 (मक०)